

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
3.03.2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंधान के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	
10.03.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 17.03.2023 को रखें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

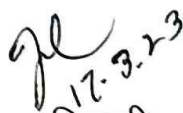
17.3.23

अभिलेख अपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है। कि मौजा वैली खुर्द खाना सं० A03 खाता सं० 54 प्लॉट सं० 556/A, 556/B रकबा 2.03.20 है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं० 542/C, 421/D पर रामकौरा देवनाच महतो, पुनः से मांग कायम है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि संक्षम अधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर से बन्दोबस्त/वाद सं० A9/1990-91 से प्राप्त है।
अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है।
वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
मनातू।


अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में

अंचल जलिकारी

मनारु पणामू

विषय:- संदिग्ध/संदेहास्पद जमावदी केस नं० 35/2016-17 से सम्बंधित जौंच प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रतिवेदित कला है कि संदिग्ध/संदेहास्पद जमावदी केस नं० 35/2016-17 से सम्बंधित जौंच उपरान्त पाया कि ग्राम तंझी खुर्द के भौग पेजी II के 80 सठ 133/2 पर भौग वाली रैयर रामऔतार महारा, देवनाच महारा, बिनेश्वर महारा, राजकुमार महारा राजेश महारा पिरा गनौरी महारा के नाम से कायम है। आरु जॉइन भौग पेजी II के अनुसार श्रमि का विवरण निम्न प्रकार है।

ग्राम	खसरा	खोत	रकबा	परिवर्तन का प्रकार
तंझी खुर्द	54	556/A 556/B 543/C 421/D	807.88	लगातार निवाला केस सठ 48/70-71 का मुसल पदाबख्त को अंचल जलिकारी मनारु के आदेशा कुषार भौग होला गया।

उपर्युक्त वर्णित भूमि का लगान वर्ष 1991 से वर्ष 2014-15 तक है अंतिम भुगतान बसिद सठ 115158 दिनेक 12.6.14 तक है। भौग वाली रैयर से भूमि संतवित दखालेज की भौग की गई जिसमें आवेदक द्वारा रैन्ट रोल ख लगान निर्धारण का नकल ख रसीद की साथ प्रति संहार किया गया है जो अग्रिलेव के साथ सीपन है।

भौग वाली रैयर द्वारा सदैव दखालेज भौग पेजी II में दर्ज भौग के अखार पर यह ममला संदिग्ध/संदेहास्पद प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः जौंच प्रतिवेदन निप्रमाणसार अग्रेंटर कर्ता है, सादा लमफिन।

विश्वास भाजन

15/02/23
C-2

15/02/23
R.S.I